रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 नवम्बर, 1982/18 कार्तिक, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, अक्तूबर, 1982

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (4)-46/76.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल, 1980 में अंकित शब्द ज़िला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ऊना के बजाये अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, ऊना पढ़ा जाये।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 1982

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-65/82.—क्योंकि श्री मिसरा राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत जलोट, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, ज़िलाधीश कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत की सूचना के अनुसार पंचायत की मासिक बैठकों से दिनांक 19-3-1981 से लगातार अनुपस्थित पाये गये हैं;

और क्योंकि श्री मिसरा राम जी उक्त आरोप पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत अपने पद पर नहीं रह सकते;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री मिसरा राम जी को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें ग्राम पंचायत के उप-प्रधान पद से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (सी) के अन्तर्गत निष्कासित किया जाये। उनका इस सम्बन्ध में उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर-2 ज़िलाधीश कांगड़ा के माध्यम से इस विभाग को प्राप्त होना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, अक्तूबर, 1982

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-180/77.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, चौहारा, ज़िला शिमला द्वारा जांच करने पर श्री रिपन लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल, पंचायत की मासिक बैठकों से 10/1930 से 2/1981 तथा श्री मातेश्वर सिंह, पंच 7/1980 से 2/1981 तक अनुपस्थित हैं;

और क्योंकि उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत अपने पद पर बने रहने के हकदार नहीं हैं;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त सर्वश्री रिपन लाल व मातेश्वर सिंह को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के क्रमशः उप-प्रधान व पंच पद से निष्कासित किया जाए। उनका इस सम्बन्ध में उत्तर ज़िला पंचायत अधिकारी, शिमला के माध्यम से एक मास के भीतर-2 इस विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिये, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने पक्ष में कुछ भी कहने से असमर्थ हैं और आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।

आदेश

शिमला-171002, 2 नवम्बर, 1982

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-59/82.—क्योंकि ग्राम पंचायत उरनी, ज़िला किन्नौर के लेखों की जांच करने पर श्री बल बहादुर, प्रधान ग्राम पंचायत के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध होते हैं :—

(1) समय-समय पर भारी मात्रा में नकद शेष अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना;
(2) पंचायत को विश्वास में न रख कर बैंक से धन राशियां निकालना व दुरुपयोग करना;
(3) विकास कार्यों के निर्माण हेतु नियमानुसार निर्माण समिति का गठन न कर समस्त कार्य अपने द्वारा करवाना;
(4) रसीद संख्या 375, 395 क्रमशः दिनांक 27-3-1982 व 8-8-1982 को गृह कर की प्राप्त राशि रु0 100 रुपये का गबन करना;
(5) निर्माण रास्ता यूला गांव के लिये विकास विभाग से प्राप्त रु0 4,000 रुपये का गबन करना;
(6) रु0 2,792.42 रुपये के विभिन्न विकास कार्य बिना विदित स्वीकृति के किया गया है ;

और क्योंकि उक्त प्रधान उपरोक्त आरोपों की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रधान पद पर रखना जनहितार्थ नहीं है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री बल बहादुर को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देने के सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए तथा साथ ही यह भी आदेश देते हैं कि वह ग्राम पंचायत की समस्त राशि जो उनके पास अनाधिकृत रूप से है, को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर पंचायत में जमा करवा दें। उनका उत्तर भी इस सम्बन्ध में 15 दिनों के भीतर-भीतर इस विभाग को, द्वारा जिलाधीश, किन्नौर के माध्यम से पहुंच जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।